मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-5

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 5 जनवरी, 2006 (पौष 15, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या-17 (क्रमांक 2005) "इंदौर नगर पालिका निगम में फर्जी मस्टर एवं नियुक्ति के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही" संबंधी प्रश्न पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 124 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 101 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने बरेंड जनपद पहाड़गढ़ जिला मुरैना में माध्यमिक, प्राथमिक शालाओं में स्टाफ की कमी होने,

(2) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने सतना जिले के मैहर विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामों में खेल मैदान न होने,

(3) श्री रामदयाल प्रभाकर,सदस्य ने भिण्ड जिले के आलमपुर स्थित कन्या विद्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने.

(4) श्री रामनिवास रावत,सदस्य ने श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में सूखे के दौरान कराये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान न किये जाने ,

(5) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव,सदस्य ने देपालपुर -केसर मार्ग पर ग्राम चान्देर के पास चम्बल नदी पर पुल बनाने,

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने खाचरौद शासकीय चिकित्सालय में डाक्टर की नियुक्ति न करने,

(7) श्री हमीद काजी, सदस्य ने बुरहानपुर राज्य पावर लूम बुनकर सहकारी संघ में प्रथम श्रेणी अधिकारी की पदस्थापना न होने,

(8) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने रायसेन स्थित हजरत पीर फतह उल्लाह शाह की दरगाह पर बंदरों का आतंक होने, तथा

(9) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल नगर निगम की उदासीनता से नागरिकों को मूलभूत सुविधायें न मिलने.

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने

(क) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (2001-2002) एवं (2003-2004) तथा आयोग के वर्ष 2001-2002 एवं 2003 -2004 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ; तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004 -2005 तथा लोक आयुक्त संगठन का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 का व्याख्यात्मक ज्ञापन,

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापनांतर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005 (दिनांक 19.01.2004 - 18.01.2005) ; तथा

(ख) लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलम्बित संदाय पर ब्याज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 32 सन् 1993) की धारा 7 "सी" की अपेक्षानुसार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक एफ 6 -12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 16.8.2000,

(ii) क्रमांक एफ 6 -12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 26.3.2002,

(iii) क्रमांक एफ 6 -12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 22.10.2002, एवं

(iv) क्रमांक एफ 6 -12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 17.2.2005,

(3) श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम,1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वित्त विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 187 - चार - ब -आ -नी. वि. ई-05,दिनांक 12 जुलाई, 2005,

(ख) क्रमांक 193 - चार - ब -आ -नी. वि. ई-05,दिनांक 18 जुलाई, 2005,तथा

(ग) क्रमांक 255 - चार - ब -आ -नी. वि. ई-05,दिनांक 30 अगस्त, 2005,

(4) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल (संशोधन) अधिनियम, 1998 (क्रमांक 14 सन् 1998) की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1999 -2000,

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन,

(6) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन एवं नर्मदा घाटी विकास ने -

(क) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (2002-2003) तथा आयोग के वर्ष 2002 -2003 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन ; तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2004 -2005,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधानसभा नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती है। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, मोहन शर्मा, सदस्य ने भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के अन्तर्गत ग्रामों में फर्जी पट्टे के आधार पर ऋण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण उनकी ध्यानाकर्षण संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

(2) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग स्थित शक्कर कारखानों द्वारा किसानों को गन्ने का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री रामनिवास रावत, के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य ने ग्वालियर की ग्रेसिम मिल द्वारा बिक्री के अनुबंध की शर्तों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 31-राघोगढ़ के सदस्य श्री दिग्विजय सिंह को दिसम्बर, 2005-जनवरी, 2006 सत्र की बैठकों से सदन की अनुमति से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री मधुकर हर्णे, सदस्य ने लोक लेखा समिति का 141 वां से 214 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति ने प्राक्कलन समिति का सप्तम् प्रतिवेदन,

(3) श्री ध्यानेन्द्र सिंह,सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां तथा इक्कीसवां प्रतिवेदन,

(4) श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का पंचम् एवं षष्टम् प्रतिवेदन,

प्रस्तुत किये।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य ने पन्ना जिले के -

(क) ग्राम कोठी में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन बनाये जाने,

(ख) ग्राम दमुइया स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम सिमरिया स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एन.सी.सी. खुलवाये जाने ; तथा

(घ) ग्राम विसानी में पुलिस चौकी खोले जाने,

(2) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) मांगुरली पहुंच मार्ग का उन्नयन कराये जाने ; तथा

(ख) ग्राम करव्हार, जामघाट एवं गोरलीखापा में माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हिम्मत कोठारी,परिवहन मंत्री ने मोटरयान (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

9. घोषणा

उपाध्यक्ष मोहदय द्वारा घोषणा की गई कि उन्होने मध्यप्रदेश निरसन विधेयक 2005 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा की नियमावली के नियम 65 तथा स्थाई आदेश की कंडिका 23 एवं 24 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2005 को आज ही सदन में पुर:स्थापित करने तथा उस पर विचार करने की अनुमति प्रदान की है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(3) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 26 सन् 2005) पर विचार किया जाय तथा श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने संक्षिप्त भाषण दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड- दो

श्री हिम्मत कोठारी,परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 2 का लोप किया जाय तथा खण्ड 3 से 5 पुर्नक्रमांकित किया जाय. तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री लाल सिंह आर्य
(2) श्री इन्द्रजीत कुमार
(3) श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष
(4) श्री रामनिवास रावत
(5) श्री मननमोहन शाह बट्टी
(6) श्री हमीद काजी
(7) श्री नानालाल पाटीदार
(8) श्री हरवंश सिंह
(9) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(10) श्री रामलखन शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(11) डॉ. गोविन्द सिंह

श्री हिम्मत कोठारी,परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 2 का लोप किया जाय तथा खण्ड 3 से 5 को पुर्नक्रमांकित कर खण्ड 2 से 4 किया जाय.

संशोधन स्वीकृत हुआ।

खण्ड -3

श्री हिम्मत कोठारी,परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 3 में इस प्रकार संशोधन किया जाय-उप खण्ड (एक) में, उपमद (ख) में शब्द तथा अंक "रूपये 150 प्रति सीट प्रति माह " के स्थान पर शब्द तथा अंक "रूपये 150 प्रति सीट प्रति तिमाही " स्थापित किये जाएं।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खण्ड 3 विधेयक का अंग बना

खण्ड -4

श्री हिम्मत कोठारी,परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 4 के उपखण्ड 3 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

(एक) मद 7 के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाय,अर्थात :-

"7 मालयान,जिसका रजिस्ट्रीकृत लदान भार 2000 किलोग्राम या कम है	यान के मूल्य (कास्ट) का 10 प्रतिशत जीवन-काल-कर"

(दो) मद 8 के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाय,अर्थातः-

" 8 डम्पर ट्रक	यान के मूल्य (कास्ट) का 10 प्रतिशत जीवन-काल-कर"

(तीन) मद 9 का लोप किया जाय.

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खण्ड 4 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 5 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 26 सन् 2005) पारित किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(1.23 बजे से 2.45 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

11. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव,सभापित ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का नवम प्रतिवदेन प्रस्तुत किया कि -

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार दिनांक 6 जनवरी 2006 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय विधयेक तथा अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2006

	अशासकीय विधेयक		**निर्धारित समय**
	मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक 2005		
	(क्रमांक 6 सन् 2005) का पुर:स्थापन		00.05 मिनट
	भार साधक सदस्य -	श्री सत्यदेव कटारे	
	अशासकीय संकल्प		
1.	(क्रमांक -22)	श्री आरिफ अकील	00.30 मिनट
2.	(क्रमांक-32,35,36)	श्रीमती जमुना देवी सर्वश्री सुखदेव पांसे, सज्जन सिंह वर्मा,	01.00 घण्टा
3.	(क्रमांक 16,27)	सर्वश्री शरद जैन,निशिथ पटेल,	00.30 मिनट
4.	(क्रमांक 14,19)	सर्वश्री रामनिवास रावत,दुर्गालाल विजय	00.25 मिनट

श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नवम् प्रतिवदेन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(4) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्याय पीठ को अपील) विधेयक, 2005 (क्रमांक 27 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) डॉ.आई.एम.पी. वर्मा
(4) श्री ओमप्रकाश पुरोहित

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 तथा 4 विधेयक के अंग बने
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्याय पीठ को अपील) विधेयक, 2005 (क्रमांक 27 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(5) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2005 (क्रमांक 29 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

13. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

(1) प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत की दरों में बार-बार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

4.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी, 2006 (पौष 16 , 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.